Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ बांसवाडा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ सहायक कोष कार्यालय बांसवाडा 10,000/—रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 09 मार्च 2026, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कोष कार्यालय बांसवाडा व श्री कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय बांसवाडा** को **10,000/— रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक, श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि एसीबी बांसवाडा इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी ने अपने ई मित्र के माध्यम से किसी आवेदन कर्ता के जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन किया था आवेदन पत्र में पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर बताकर तहसील कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा द्वारा परिवादी को धमका कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने का डर दिखा कर परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी जिस पर दिनांक 26.02.2026 एवं 27.02.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक द्वारा 10,000/— रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. बांसवाडा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक द्वारा 10,000/— रूपये रिश्वत राशि परिवादी से स्वयं ग्रहण कर अपने परिचित मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी कोष कार्यालय बांसवाडा को दिए गए। मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी कोष कार्यालय बांसवाडा द्वारा रिश्वत राशि 10,000/— रूपये अपने पास रखी गई। जिस पर कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक व मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी से रिश्वत राशि बरामद कर दोनो आरोपीगणो को रिश्वत राशि ग्रहण करने पर रंगे हाथों पकडा गया।

आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। आरोपीगण कचरू कटारा वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बांसवाडा व मिलन भट्ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी कोष कार्यालय बांसवाडा के निवास की भी तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।